Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जयपुर में आरोपी नारायण वर्मा निरीक्षक उप रजिस्ट्रार शहर सहकारी समिति, मिनी सचिवालय जयपुर को 2,75,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार।

जयपुर दिनांक 14.08.2025 गुरूवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी नारायण वर्मा निरीक्षक उप रजिस्ट्रार शहर सहकारी समितियों, मिनी सचिवालय जयपुर को **2,75,000/- रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों हिरासत में लिया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि नारायण वर्मा निरीक्षक द्वारा परिवादी के दो आवासीय प्लॉट, श्रीनाथ एनक्लेव सैकण्ड ग्राम हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला डिग्गी रोड तहसील सांगानेर जयपुर जो हरिनगर गृह निर्माण सहकारी समितियों, जयपुर के द्वारा सृजित किये गये थे, जिनमें विवादित होने से स्टे प्राप्त करने की एवज में प्रति प्लॉट 2 लाख रूपये (कुल 4 लाख रूपये) उप रजिस्ट्रार शहर के लिए व स्वयं के लिए 1 लाख रूपये की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा था। मांग सत्यापन के दौरान 74,000/- रूपये प्राप्त करना व आज आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लेने के दौरान परिवादी को ज्योति राव फूले चौराहा, स्वेज फार्म के पास लगभग 10 किलोमीटर गलियों में घुमाया गया फिर चौराहे से गुर्जर की थडी की ओर जाने वाले रास्ते में स्कुटी रोक कर 2,75,000/- रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त की गई।आरोपी से रिश्वत राशि 2,75,000/- रूपये बरामद हो चुके है।

एसीबी जयपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस- द्वितीय श्री आनन्द शर्मा** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर चतुर्थ के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञानप्रकाश नवल** के नेतृत्व में **पुलिस निरीक्षक श्री गम्भीर सिंह** एवं अन्य के ट्रैप कार्यवाही करते हुए आरोपी नारायण वर्मा निरीक्षक उप रजिस्ट्रार शहर सहकारी समितियों मिनी सचिवालय जयपुर को **2,75,000/- रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। अन्य की भूमिका के संबंध में पूछताछ जारी है।